झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

चतुर्थ झारखण्ड विधान सभा
त्रयोदश(मानसून)सत्र
वर्ग–03

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, बुधवार, दिनांक– 27 अषाढ़,1940 (श0) को 18 जुलाई, 2018 (ई0) झारखण्ड विधान–सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

कमांक	विभागों को भेजी गई सां0सं0	सदस्यों का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01	02	03	04	05	06
(35)–	अ0सू0–01	श्री अरूप चटर्जी	हवाई अड्डा का निर्माण।	परिवहन	07.07.18
(36)–	अ0सू0–04	श्री निर्भय कु0 शाहबादी	पंचायत सचिव के पदों पर नियुक्ति।	ग्रामीण विकास	12.07.18
(37)–	अ0सू0–02	श्री प्रदीप यादव	सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराना।	परिवहन	08.07.18
(38)–	अ0सू0–03	श्री बिरंची नारायण	एम्फिबियन एयरक्राफ्ट संचालित कराना।	परिवहन	09.07.18

रॉंची
दिनांकः–

बिनय कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान–सभा,रॉंची।

कृ0 पृ0 उ0.....

ज्ञाप संख्याः–झा0वि0स0–05/15.....3238...../वि0स0,राँची,दिनांकः–13/07/18

प्रतिलिपिः–झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/ मुख्यमंत्री/अन्य मंत्रिगण/ संसदीय कार्य मंत्री/नेता विरोधी दल,झारखण्ड विधान सभा/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागों को सूचनार्थ प्रेषित।

13/7/18
(शरद सहाय)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः–झा0वि0स0–05/15.....3238...../वि0स0,राँची,दिनांकः–13/07/18

प्रतिलिपि :–माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/निजी सहायक,सचिवीय कार्यालय को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

13/7/18
(शरद सहाय)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप संख्याः–झा0वि0स0–05/15.....3238...../वि0स0,राँची,दिनांकः–13/07/18

प्रतिलिपि :–कार्यवाही शाखा,वेबसाईट शाखा,ऑनलाईन शाखा एवं आश्वासन शाखा,झारखण्ड विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

13/7/18
(शरद सहाय)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

13/07/18

मंगल

(35)

झारखण्ड सरकार

परिवहन एवं नागर विमानन विभाग

श्री अरूप चटर्जी, स०वि०स०, से आगामी सत्र में दिनांक–18.07.2018 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न सं.–अ.सू.–01 से संबंधित सरकार का वक्तव्य :–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि धनबाद शहरी क्षेत्र भौगोलिक दृष्टिकोण से राज्य के बीचों–बीच अवस्थित एक शहरी क्षेत्र है जो यातायात हेतु सुगम रेल मार्ग, NH-2 तथा NH से जुड़ा हुआ है, इसी शहरी क्षेत्र से सटा बलियापुर प्रखण्ड क्षेत्र है, जिसमें एक हवाई अड्डा है और इसका विस्तारीकरण भी सरकार के पास प्रस्तावित है ।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि खण्ड–1 में वर्णित हवाई अड्डा में बड़े हवाई जहाज जैसे बोईंग, एयरबस, एटीआर आदि व्यवसायिक हवाई जहाजों का संचालन नहीं हो सकता है, जिसके चलते कोयलांचल के इस औद्योगिक, खान बहुल और ISM, BIT (सिन्दरी) जैसे उच्च तकनीकी शिक्षा संस्थान के साथ–साथ धनबाद, बोकारो, गिरिडीह समेत संथाल परगना के लोगों को भी समुचित हवाई सुविधा हेतु राँची या कोलकाता हवाई अड्डा पर निर्भर होना पड़ता है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार बलियापुर प्रखण्ड क्षेत्र अवस्थित उक्त हवाई अड्डे को विस्तारित करवाकर यहाँ बड़े और व्यवसायिक प्लेनों का आवागमन शुरू करवाने का विचार रखती है, हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	राज्य सरकार द्वारा धनबाद जिला अंतर्गत बलियापुर जिला में अवस्थित **हवाई पट्टी** तथा आस–पास के क्षेत्र को एक हवाई अड्डा के रूप में विकसित करने के लिए चिन्हित किया गया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की उच्च स्तरीय तकनीकी टीम द्वारा माह अप्रैल, 2018 में उक्त चिन्हित स्थल का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण प्रतिवेदन में प्राप्त सुझाव के आलोक में विभागीय पत्रांक–493, दिनांक–06.07.2018 द्वारा उपायुक्त, धनबाद से कुल 642 एकड़ भूमि की विवरणी तथा इसके अधिग्रहण में होने वाले व्यय संबंधित प्रतिवेदन की माँग की गई है। उपायुक्त, धनबाद से प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत अग्रतर कार्रवाई की जायेगी।

12/7/2018
सरकार के अवर सचिव
परिवहन एवं नागर विमानन विभाग

ज्ञापांक–ना०वि०–XIII-01/2018/ 515 /राँची, दिनांक–12/07/18

प्रतिलिपिः–सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञापांक–2976/वि.स. दिनांक–07.07.2018 के पृष्ठांकन में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/7/2018
सरकार के अवर सचिव

(36)

श्री निर्भय कुमार शाहाबादी, माननीय स0वि0स0 द्वारा सदन में दिनांक 18.07.2018 को पूछे जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या– 04 का उत्तर ।

प्रश्न	उत्तर
1.	2.
(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में कुल– 4,402 पंचायत है जिसमें कुल– 2600 पंचायत सचिव कार्यरत और शेष 1,802 उक्त पद वर्षो से रिक्त है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । वर्तमान में राज्य अन्तर्गत ग्राम पंचायतों की संख्या 4398 है।
(2) क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला में कुल– 358 पंचायत है जिसमें मात्र 190 पंचायत सचिव कार्यरत है और शेष 168 उक्त सचिव का पद रिक्त है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक। वर्तमान में गिरिडीह जिला अन्तर्गत कार्यरत पंचायत सचिवों की संख्या 184 एवं रिक्त पदों की संख्या 174 है।
(3) क्या यह बात सही है कि खण्ड–01 में वर्णित पद के रिक्त होने से लोगों को काफी कठिनाई हो रही है;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक । रिक्त पंचायत सचिव पद पर अन्य ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सचिव को अतिरक्त प्रभार दिया गया है।
(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार जनहित में खण्ड– 01 में वर्णित रिक्त पदों पर नियुक्ति का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	विभाग से कुल 1687 पंचायत सचिव पदों पर नियुक्ति हेतु अधियाचना झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग को प्रेषित की गई है जिसके आलोक में आयोग द्वारा विज्ञापन प्रकाशित करते हुए नियुक्ति हेतु परीक्षा का आयोजन किया जा चुका है। परिणाम संप्रति प्रकाशित नहीं हुई है।

झारखण्ड सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(पंचायती राज)

ज्ञापांकः– 01 स्था (वि0)–156/2018–2115/, राँची, दिनांकः–17.7.18

प्रतिलिपिः– 200 अतिरिक्त प्रतियों सहित अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञाप संख्या 3220 दिनांक 12.07.2018 के संदर्भ में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

17/7/18
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः– 01 स्था (वि0)–156/2018–2115/, राँची, दिनांकः–17.7.18

प्रतिलिपिः– माननीय मंत्री, संसदीय कार्य के आप्त सचिव/सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, संसदीय कार्य/ माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) के आप्त सचिव को सूचनार्थ समर्पित ।

17/7/18
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांकः– 01 स्था (वि0)–156/2018–2115/, राँची, दिनांकः–17.7.18

प्रतिलिपिः– अवर सचिव–सह–नोडल पदाधिकारी (OASYS), ग्रामीण विकास विभाग (पंचायती राज) झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

17/7/18
सरकार के अवर सचिव।

सुनिता/18.07.2018

(37)

झारखण्ड सरकार
परिवहन विभाग
एफ.एफ.पी. भवन, धुर्वा, राँची

दिनांक–18.07.2018 को श्री प्रदीप यादव, माननीय स०वि०स० द्वारा पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–अ०सू०–02 की उत्तर सामग्रीः–

	प्रश्नकर्त्ता **श्री प्रदीप यादव** **माननीय स०वि०स०**		**उत्तरदाता** **श्री सी० पी० सिंह** **माननीय मंत्री, परिवहन विभाग**
1	क्या यह बात सही है कि देवघर जिला के देवघर अंचल के मौजा नं० 413, जमाबंदी नं०–3126 कुल 16 कटठा जमीन परिवहन विभाग के कब्जे में वर्ष 1973 से है;	–	**स्वीकारात्मक है।** देवघर जिला के देवघर अंचल अंतर्गत मौजा श्यामगंज नं० 413 जमाबन्दी नं० 3126 कुल रकबा 24 कट्ठा (16 कट्ठा नहीं) जमीन अवस्थित सरकारी बस पड़ाव वर्त्तमान में जिला परिवहन कार्यालय संचालित है, जो वर्ष 1973 में दलील सं० 2166 से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा क्रय किया गया है तथा वर्त्तमान में परिवहन विभाग के दखल में है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त परिवहन विभाग की जमीन पर अवैध तरीके से जमीन दलालों ने सरकारी पदाधिकारियों के सहयोग से कब्जा करने हेतु दीवार दे रखा है;	–	**आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।** उपायुक्त, देवघर के पत्रांक–383, दिनांक–13.07.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि उक्त भू–खण्ड के कुल रकबा 24 कट्ठा में से तथाकथित एटॉनी होल्डर (श्री राकेश रंजन सिन्हा, साहेब पोखर देवघर जो बसीर इलाही का एटॉर्नी होल्डर मानते हैं, के द्वारा वर्ष 2013 में छद्म कागजात वर्ष 1956 के फर्जी दलील के आधार पर अंश रकबा 13½ डिसमल पर अवैध कब्जा की कोशिश की गयी है। इस संदर्भ में SDM Court Deoghar एवं DJ Court Deoghar द्वारा परिवहन विभाग का दावा माना गया है। तत्पश्चात एटॉर्नी होल्डर द्वारा आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका को उक्त भू खण्ड में कब्जा दिलाने हेतु आवेदन दिया गया। आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका द्वारा मांगी गई प्रतिवेदन के अनुपालन में उनके द्वारा एटॉर्नी होल्डर के दावा को अमान्य का प्रतिवेदन दिया गया। तत्पश्चात एटॉनी होल्डर द्वारा माननीय आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका के न्यायालय में RMP Case No 26/18-19 राकेश रंजन सिन्हा बनाम जिला परिवहन पदाधिकारी, देवघर दिनांक–14.04.2018 को वाद दायर किया । उक्त वाद में आयुक्त, संथाल परगना प्रमंडल, दुमका ने दिनांक–31.05.2018 को आदेश पारित करते हुए 32,400 वर्गफीट भू खंड को छोड़कर शेष भू खंड को राकेश रंजन सिन्हा को दखल दिलाने का आदेश दिया गया। इस आदेश के विरूद्ध माननीय सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची में दिनांक–25.06.2018 को वाद दायर किया गया, जिसे स्वीकार कर लिया गया है, जिसका Oath No.-5927, दिनांक–25.06.2018 है। इस प्रकार उक्त भू–खण्ड पर स्वामित्व का मामला सदस्य, राजस्व पर्षद, झारखण्ड के यहाँ विचाराधीन है।

3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार सरकारी सम्पति को उन दलालों से मुक्त कराने एवं उच्च स्तरीय जांच कराकर आवश्यक कार्रवाई करना चाहती है, हाँ तो कब तक, नही तो क्यों ?		कंडिका–2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है।

ह०/–
सरकार के उप सचिव
परिवहन विभाग

ज्ञापांक–परि०वि०(वि०स०)–13/2018 569 /राँची, दिनांक 17.7.18

प्रतिलिपि–अवर सचिव, झारखण्ड विधान–सभा, सचिवालय राँची को उनके ज्ञापांक–3012 दिनांक–08.07.2018 के प्रसंग में 200 अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

17/7/18
सरकार के उप सचिव
परिवहन विभाग

(38)

झारखण्ड सरकार

परिवहन एवं नागर विमानन विभाग

श्री बिरंची नारायण, स०वि०स०, से आगामी सत्र में दिनांक–18.07.2018 को पूछे जाने वाले अल्प सूचित प्रश्न सं.–अ.सू.–03 से संबंधित सरकार का वक्तव्य :–

क्र० सं०	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य में अवस्थित सभी डैम में पर्याप्त मात्रा में जल का जमाव है, जहाँ Sea plane (एम्फिबियन एयरक्राफ्ट) संचालित किया जा सकता है ;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
2	क्या यह बात सही है कि राज्य के बड़े–बड़े डैम के जल जमाव के भाग पर अगर प्लेटफॉर्म का निर्माण करवाकर Sea plane (एम्फिबियन एयरक्राफ्ट) संचालित किया जाता है, तो इससे नगारिकों को सुगम हवाई यातायात के साथ–साथ ही राज्य में पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा;	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार में Sea plane (एम्फिबियन एयरक्राफ्ट) संचालित करावाकर नागरिकों को सुगम हवाई यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने का विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	वर्त्तमान में राज्य सरकार के द्वारा Sea lane के संचालन के संबंध में कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही है । राज्य में स्थित जल समूहों से Sea plane के संचालन की तकनीकी व्यवहारिकता पर DGCA, भारत सरकार द्वारा Sea plane के संचालन हेतु Civil Aviation Requirements के प्रावधानों के आलोक में निरीक्षण के उपरांत ही पता चल सकेगा। DGCA, भारत सरकार द्वारा Water Aerodrome के Licensing हेतु आवश्यकताएँ तथा विधि के संबंध में प्रावधानों का निर्धारण प्रक्रियाधीन हैं । राज्य में वायुमार्ग से सुगम यातायात की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार द्वारा Regional Connectivity Scheme(RCS) के अंतर्गत विभिन्न हवाई अड्डों के विकास एवं विस्तार की कार्रवाई की जा रही है । यदि RCS के अंतर्गत Sea plane का संचालन किया जाता है तब राज्य सरकार द्वारा इसपर विचार किया जा सकेगा ।

12/7/2018
सरकार के अवर सचिव
परिवहन एवं नागर विमानन विभाग

ज्ञापांक–ना०वि०–XIII-02/2018/ 514 /राँची, दिनांक– 12/07/18

प्रतिलिपिः–उप सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके पत्रांक–3054/वि.स. दिनांक–09.07.2018 के प्रसंग में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12/7/2018
सरकार के अवर सचिव
परिवहन एवं नागर विमानन विभाग